



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042020-219147
CG-DL-E-24042020-219147

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1221]
No. 1221]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2020/वैशाख 4, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2020/VAISAKHA 4, 1942

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2020

का.आ. 1367(अ).—राष्ट्रपति ने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 7) को 24 अप्रैल 2020 को प्रख्यापित किया है;

और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश 7) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अध्यादेश कहा गया है, के प्रारम्भ की तारीख से ही भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिकांत हो जाएगी और परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य अपने पद रिक्त कर देंगे;

और धारा 3क की उप-धारा (2) (जिसे उक्त अध्यादेश द्वारा अंतःस्थापित किया गया है) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय परिषद् का, परिषद् के अधिकांत होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पुनर्गठन करने की अपेक्षा करती है;

और परिषद् के अधिकांत होने पर और जब तक नई परिषद् पुनर्गठित नहीं हो जाती तब तक, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन परिषद् की शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कार्यों का पालन करने के लिए शासी बोर्ड के गठन की अपेक्षा की जाती है;

अतः अब , केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 3 क की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनने वाले शासी बोर्ड का गठन करती है, अर्थात:-

1	वैद्य जयंत देवपुजारी, श्रीनिधि आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सालय, 80 पी & टी कॉलोनी, दुर्गा मंदिर के सामने, प्रताप नगर, नागपुर, महाराष्ट्र - 440010.	अध्यक्ष;
2	वैद्य विनोद कुमार टी. जी. नायर, 86, निर्झरी, पी टी पी नगर, तिरुवनन्तपुरम – 695038, केरल.	सदस्य;
3	वैद्य राकेश पंडित, मेहर कुंज, तारा लेन, शिव नगर, मेहली, शिमला-171013, हिमाचल प्रदेश.	सदस्य
4	प्रोफेसर संजीव शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राजस्थान.	सदस्य
5	प्रोफेसर हरिद्र दवे शल्यतंत्र विभाग, जे. एस. आयुर्वेद महाविद्यालय, नडियाड, गुजरात.	सदस्य
6	प्रोफेसर कमलेश कुमार द्विवेदी, एन 1/66, एफ. आर.-2, सूर्यगंगा विहार कॉलोनी, सामने घाट, लंका, वाराणसी – 221005, उत्तर प्रदेश.	सदस्य
7	प्रोफेसर तनूजा मनोज नेसरी, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, सरिता विहार, नई दिल्ली.	सदस्य
8	प्रोफेसर असीम अली खान, डी-194, अबुल फ़ज़ल एंक्लेव, जामिया नगर, नई दिल्ली 110025.	सदस्य
9	प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल वहीद, 2-3-19/3/बी तुलसी नगर कॉलोनी, गोलनाका, तिलक नगर, अंबरपेट रोड, हैदराबाद – 500013, तेलंगाना.	सदस्य
10	प्रोफेसर आर. मीना कुमारी, 6/1 वल्लुवर नगर, अरुम्बक्कम, चेन्नई – 600106, तमिलनाडु	सदस्य

2. शासी बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य केंद्रीय सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।

3. शासी बोर्ड, का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए या नई भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् का पुनर्गठन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगा।

[फा. सं. एल -11011/07/2020- ई पी-II]

पी.एन.रण्जीत कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2020

S.O. 1367(E).—Whereas the President has promulgated the Indian Medicine Central Council (Amendment) Ordinance, 2020 (Ord. 7 of 2020), on 24th April, 2020;

And whereas, on and from the date of commencement of the Indian Medicine Central Council (Amendment) Ordinance, 2020 (Ord. 7 of 2020), (hereafter referred to as the said Ordinance), the Central Council of Indian Medicine shall stand superseded and the President, Vice-Presidents and other Members of the Council shall vacate their offices;

And whereas the provisions of sub-section (2) of section 3A (as inserted by the said Ordinance) requires the Central Council to be reconstituted in accordance with the provisions of section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) within a period of one year from the date of supersession of the Council;

And whereas upon the supersession of the Council and until a new Council is reconstituted, a Board of Governors is required to be constituted by the Central Government to exercise the powers and perform the functions of the Council under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3A of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government hereby constitutes the Board of Governors consisting of a Chairperson and Members as under:—

1.	Vaidya Jayant Deopujari, Shrinidhi Ayurved Panchakarma Chikitsalaya, 80 –P&T Colony, Opposite Durga Mandir, Pratap Nagar, Nagpur, Maharashtra- 440010.	Chairperson;
2.	Vaidya Vinod Kumar T.G.Nair, 86, Nirjhari, PTP Nagar, Thiruvananthapuram -695038, Kerala.	Member;
3.	Vaidya. Rakesh Pandit, Mehar Kunj, Tara Lane, Shiv Nagar, MEHLI, Shimla-171013, Himachal Pradesh.	Member;
4.	Prof. Sanjeev Sharma, Director, National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan.	Member;
5.	Prof. Haridra Dave, Professor, Department of Shalya Tantra, J.S. Ayurved Mahavidyalaya, Nadiad, Gujarat.	Member;
6.	Prof. Kamlesh Kumar Dwivedi, N 1/66, FR –2, Surya Ganga Vihar Colony, Samne Ghat, Lanka, Varanasi –221005. U.P.	Member;
7.	Prof. Tanuja Manoj Nesari, Director, All India Institute of Ayurveda, Sarita Vihar, New Delhi.	Member;

8.	Prof. Asim Ali Khan, D-194, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025.	Member;
9.	Prof. Mohammed Abdul Waheed, 2-3-19/3/b Tulsi Nagar Colony, Golnaka, Tilak Nagar Amber Pet Road Hyderabad-500013, Telangana.	Member; and
10.	Prof. R. Meena Kumari, 6/1 Valluvar nagar, Arumbakkam, Chennai-600106, Tamil Nadu.	Member.

2. The Chairperson and other Members of the Board of Governors shall hold office during the pleasure of the Central Government.

3. The term of office of the Board of Governors shall be for a period of one year or till a new Central Council of Indian Medicine is reconstituted, whichever is earlier.

[F. No. L-11011/07/2020-EP-II]

P. N. RANJT KUMAR, Jt. Secy.